Regarding Collegium System for appointment of Judges in Higher Judiciary-Laid

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(**नगीना**) :** कॉलेजियम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिससे अनियंत्रित शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग होता है । कॉलेजियम भारतीय समाज की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिससे सामाजिक वास्तविकताओं के दृष्टिकोण और समझ की कमी होती है । कॉलेजियम योग्यता पर वरिष्ठता को प्राथमिकता देता है । कॉलेजियम लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करते हुए सत्ता को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है । इन सबके परिणामस्वरूप एक ऐसी न्यायपालिका का निर्माण हुआ है जो एससी और एसटी के अनुभवों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित नहीं करती है । इससे न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव का चक्र कायम है । दशकों से, एससी और एसटी को प्रणालीगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है । उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है । उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का शिकार होना पड़ा है । और फिर भी, कॉलेजियम प्रणाली इन मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है और इसके परिणामस्वरूप न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव का चक्र कायम है ।